

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1050] No. 1050] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 13, 2017/चैत्र 23, 1939

NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 13, 2017/CHAITRA 23, 1939

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 अप्रैल, 2017

का.आ. 1182(अ).—केन्द्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 13 अप्रैल, 2017 को वह तारीख नियुक्त करती है, जिसको उक्त अधिनियम की धारा 234 के उपबंध प्रवृत्त होंगे।

[फा. सं. 1/37/2013-सीएल-V]

अमरदीप सिंह भाटिया, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS NOTIFICATION

New Delhi, the 13th April, 2017

S.O. 1182(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 1 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby appoints the 13th day of April, 2017 as the date on which the provisions of section 234 of the said Act shall come into force.

[F. No. 1/37/2013-CL.V]

AMARDEEP SINGH BHATIA, Jt. Secy.